

क्रम-संख्या-74 (ख)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

क्यू०/एन०पी०-91/2008-10

लाइसेंस टू पोस्ट एट कन्सीशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 फरवरी, 2008

फाल्गुन 19, 1929 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या सं०वि०क०नि०-5-388/11-2008-500(159)/2008

लखनऊ, 8 फरवरी, 2008

अधिसूचना

प०आ०-222

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में रामय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ख) के अधीन अनुबन्ध की लिखित अथवा अनुबन्ध के ज्ञापन पर और अनुच्छेद 43 के खण्ड (ख) के अधीन दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को ऐसे मालिक के लेख में क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजी गयी टिप्पणी या ज्ञापन पर प्रभाय शुल्क को, जैसा कि स्तम्भ 2 में प्रत्येक के सम्बन्ध उल्लिखित वर्णन के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित है, स्तम्भ 3 में उल्लिखित सीमा तक इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से कम करते हैं।

लिखित	वर्णन	रकमी की सीमा
1	2	3
अनुच्छेद-5-अनुबन्ध अथवा अनुबन्ध के ज्ञापन :	प्रतिभूति या श्रेयर के मूल्य के प्रत्येक रु० 20,000/- या उसके भाग के लिए दस रुपये, किन्तु अधिकतम एक हजार रुपये।	प्रतिभूति या श्रेयर के मूल्य के प्रत्येक रु० 20,000/- या उसके भाग के लिए चालीस पैसे, किन्तु अधिकतम एक हजार रुपये।
(ख)-यदि वह सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में से श्रेयर के विक्रय से सम्बन्धित है।		

1	2	3
43- टिप्पणी या ज्ञापन, जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे में निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रस्तापना देते हुए भेजा गया है।	स्टाक या प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक ₹ 20,000/- या उसके भाग के लिए दस रुपये, किन्तु अधिकतम एक हजार रुपये।	स्टाक या प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक ₹ 20,000/- या उसके भाग के लिए चालीस पैसे, किन्तु अधिकतम एक हजार रुपये।
(ख)- ऐसे किसी स्टाक या विपण्य प्रतिभूति का, जो दो सौ रुपये से अधिक मूल्य का है।		

आज्ञा से,  
के० चन्द्रमौलि,  
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. Sa.Vi-Ka-Ni-5-388/11-2008-500(159)/2006 dated, 8 February 2008 for general information.

No.-Sa. Vi-Ka-Ni-5-388/11-2008-500(159)/2006,

Dated Lucknow, February 08, 2008

exercise of the powers under clause (a) of sub section (i) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, duty chargeable on instruments of Agreement or memorandum of an agreement under clause (b) of Article 5 and on Note or Memorandum, sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal under clause (b) of Article 43 to the extent mentioned in column 3 of Schedule 1-B to the said Act as mentioned in column 1 of the Schedule below in relation to the description mentioned against each in column 2.

Instrument	Schedule Description	Extent of reduction
1	2	3
5. Agreement or memorandum of an agreement: (b) if relating to the sale of Government Security of share in an incorporated company or other body corporate.	Subject to a maximum of one thousand rupees; ten rupees for every Rs. 20,000 or part thereof the value of the security of share.	Subject to a maximum of one thousand rupees; forty paise for every Twenty thousand rupees or part thereof the value of the security or share.
43. Note or Memorandum sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal; (b) of any stock or marketable security exceeding in value twenty thousand rupees.	Subject to a maximum of one thousand rupees, ten rupees for every Rs. 20,000 or part thereof the value of the stock or security.	Subject to a maximum of one thousand rupees; forty paise for every Twenty thousand rupees or part thereof the value of the stock or security.

By order,  
K. Chandramouli,  
Prमुख Sachiv.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 1218 राजपत्र (हि०)-(2679)-2008-597-(क०/टी०/आ०)।

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 107 सा०वि०-(2880)-2008-300-प्रतिभा-(क०/टी०/आ०)।